फरीदाबाद फिर शर्मसार, खुले नाले में गिरने से हुई एक और मौत

फरीदाबाद। फरीदाबाद में प्रशासनिक लापरवाही के चलते आईपी कालोनी के सामने खुले नाले में गिरकर एक और अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गयी। स्थानीय निवासियों ने सुबह यहाँ एक व्यक्ति के शव को देखा तो सेक्टर 31 थाने को इत्तला की। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवा दिया है। मौके पर पहुंचकर नागरिक संगठन सेव फरीदाबाद के अध्यक्ष पारस भारद्वाज ने इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और फरीदाबाद नगर निगम तथा प्रशासन को शहर में इस प्रकार हो रही मौतों का सीधा कसूरवार ठहराया।

स्थानीय निवासियों व आईपी कालोनी की आरडब्लूए के पदाधिकारियों ने बताया कि इस खुले नाले के बारे में वो कई बार स्थानीय पार्षद अजय बैंसला और नगर निगम को चेता चुके हैं परन्तु किसी के कान पर जूँ तक नहीं रेंगती। आये दिन इस खुले नाले में गिरकर गाय, सांड , कुत्ते इत्यादि जानवर मरते रहते हैं और कल एक अज्ञात व्यक्ति भी गिरकर मर गया। यह नाला दरअसल बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाया गया था। साथ में बनी केमिकल व डाई की फैक्ट्रियां रात दिन अपना केमिकल युक्त रसायन इस नाले में अवैध तरीके से छोड़ती हैं।

स्थानीय पार्षद और अधिकारियों की मिलीभगत से यह काम हो रहा है। यह नाला मिटटी , रसायन और पोलोथीन से पूरा अवरुद्ध हो चुका है और नीचे दलदल का रूप ले चुका है। ऐसी स्थिति में कोई भी जीव यदि इस नाले में गिर जाए तो उसकी दलदल में फंसने और जहरीले रसायनयुक्त पानी के शरीर के अंदर जाने से मौत हो जाती है। आईपी कालोनी की आरडब्लूए के सचिव विकास मेहता ने बताया कि इन केमिकल फैक्ट्रियों द्वारा सुरक्षा नियमों की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और इनसे निकलने वाले धूल के कण और विषैला जल उनके घरों तक पहुँचता है जिससे यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है।

नाले को केमिकल फैक्ट्रियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने के चलते बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता है जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। सेव फरीदाबाद सस्था मृतक की पहचान होने पर सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत देगी। इससे पहले भी शिव दुर्गा विहार निवासी हरीश वर्मा उर्फ हन्नी की सेक्टर 56 के एक खुले सीवर में गिरकर मौत हो गयी थी जिसकी एफआईआर इस संस्था ने पीड़ित परिजनों के साथ मिलकर सेक्टर 58 थाने में करवाई थी। पारस भारद्वाज ने इसमें प्रशासन के साथ साथ फैक्ट्री मालिक को दोषी बताते हुए उनपर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करवाने की मांग की।

स्थानीय निवासी व आरटीआई एक्टिविस्ट केतन सूरी ने इस मामले को बहुत गंभीर बताते हुए कहा कि प्रशासन की नजरों में यहाँ रहने वाले लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। केतन ने इस बाबत मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कई बार जानकारी दी हुई है परन्तु उनको लगता है सुनवाई करने के लिए फरीदाबाद के नेता व प्रशासन किसी की मौत का इंतजार करते हैं। इस नाले को ढकने के लिए करोड़ों रुपये आवंटित हो चुके हैं परन्तु अभी तक एक फूटी कौड़ी भी इस पर खर्च नहीं हुई है।

पारस भारद्वाज ने जनता के हजारों करोड़ निगम, एफएमडीए तथा स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता पक्ष के नेताओं और अधिकारियों ने डकार लिए।

सीवेज शोधन के तमाम प्लांट नाकारा, केवल बिल बनाकर लूट कमाई के साधन बने

फ़रीदाबाद (म.मो.) सीवेज़ शोधन प्लांट द्वारा की गई दुर्दशा जब असहनीय हो गई तो गांव मिर्जापुर के लोगों ने धीरे-धीरे आवाज उठानी शुरू की है। इस आवाज पर मिट्टी डालने के लिये नगर निगम के अनपढ़ एवं चोर इन्जीनियर गांव के दौरे लगा कर लोगों को शान्तवना देते हुए तरह-तरह के पाखंड कर रहे हैं। कभी वहां 70 एकड़ में सड़ रहे पानी को मशीनों द्वारा निकालने की बात करते हैं तो कभी प्लांट लगाने वाली एजेंसी को तलब करने की कहते हैं।

दरअसल यह मसला कोई आज कल में पैदा नहीं हुआ है। करीब 10 साल पहले **'मज़दूर मोर्चा'** ने, पब्लिक हेल्थ के एक कार्यकारी अभियंता दिलबाग सिंह को साथ लेकर नगर निगम के पूरे सीवेज सिस्टम का मौके पर जाकर सर्वेक्षण किया था। उस वक्त पाया गया था तीनों सीवेज़ प्लांटों में से एक भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। सेक्टर 21ए (रेलवे लाईन के निकट) स्थित सीवेज़ कलेक्शन सेंटर से जो सीवेज बादशाह पुर एसटीपी को भेजा जाता था, उसका अधिकांश रास्ते में ही गुड़गांव तथा आगरा नहर में ही बहा दिया जाता था। बाकी बचा-खूचा भी नाम-मात्र शोधित करके यमुना नदी की ओर बहा दिया जाता था।

बाइपास पर बने चार सीवेज कलेक्शन सेन्टरों को देखने पर पाया गया था कि उनके पास सीवेज को किसी भी प्लांट तक भेजने की कोई ब्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो पाइप लाईन डाली गई थी वह नाकारा थी। कुछ सीवेज सेंटरों से जो थोड़ी-बहुत सीवेज मिर्जापुर प्लांट तक पहुंचता था वह ज्यों का त्यों खुले में बहा दिया जाता था।

मजे की बात तो यह है कि जिस 70 एकड़ के भूखंड पर इस गंदे पानी का तालाब बन चुका है उसमें से 50 एकड़ वह 'हूडा' का बताया जाता है। शायद इसे विकसित करके आबाद करने के लिये 'हूडा' ने इसे अधिगृहीत किया होगा। लेकिन नगर निगम के सीवेज शोधन प्लांट ने इसका बढ़िया से 'विकास' कर दिया है। इतना ही नहीं यह गंदा पानी गांव की गलियों तक में भी घूसने से भी परहेज नहीं करता। नीमका जेल के पिछे बन गया यह सड़ा हुआ तालाब बेशक दूर से दिखाई न देता हो लेकिन इसकी बदबू कई-कई किलोमीटर दूर तक अपने होने का अहसास कराती है। तिगांव रोड से गुजरते वक्त इसे खासतौर पर महसूस किया जा सकता है। इसके बावजूद भी तमाम ज़िला प्रशासन व राजनेतागण इससे अनभिज्ञ होने का दिखावा करते रहे।

अब जिस तरह से मिर्जापुर वासियों ने थोड़ी-बहुत हल्की-फुल्की आवाज उठाने का प्रयास किया है, उसके परिणामस्वरूप केवल चंद इंजीनियरों व अफ़सरों के दौरे तो वहां लग सकते हैं, उन्हें झूठे आश्वासन तो मिल सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ भी होने वाला नहीं है। हां, यदि गांववासी एकजुट होकर सीवेज को अपने यहां आने से रोक दें तो तुरन्त इस समस्या का समाधान हो सकता है।

भूजल भी प्रदूषित होता जा रहा है

गांव के सरपंच रह चुके महिपाल यादव ने इस संवाददाता को बताया कि सन 1971 में पहली बार यहां पर सीवेज शोधन प्लांट लगाने के लिये भूमि अधिग्रहित की गई थी। कुछ भूमि गांव मिर्जापुर की व कुछ भूमि सिही गांव की थी। शुरू-शुरू में यहां केवल पांच बड़े टैंक बनाये गये थे जिनमें ब्यवस्थित तरीके से सीवेज को लाया जाता था। मिथरा हुआ पानी एक टैंक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होते हुए पांचवें तक पहुंच कर काफ़ी हद तक शोधित होने के बाद खेतों में सिंचाई के लिये छोड़ दिया जाता था। तथा पीछे बच गई खाद किसानों को बेच दी जाती थी।

90 के दशक में यहां बड़ा शोधन प्लांट लगाया गया जिसका नियंत्रण पब्लिक हेल्थ विभाग के पास था। उस समय यह प्लांट काफ़ी हद तक सही काम कर रहा था। प्लांट के आसपास की ज़मीन को 'हूडा' महकमा किसानों को काश्तकारी के लिये ठेके पर देकर खुद भी कमाता था और किसान भी अच्छी पैदावार लेते थे। लेकिन कुछ साल बाद ही यह प्लांट नगर निगम को सौंप दिया गया। बस फ़िर क्या था प्लांट की दुर्दशा तो होनी ही थी गांव की भी ऐसी-तैसी होनी शुरू हो गई। ठेके की जिस जमीन पर किसान खेती करके कमाते थे वह सड़े पानी के तालाब में परिवर्तित हो गई। इतना ही नहीं यह गंदा पानी इस ज़मीन से निकल कर उनके निजी खेतों व गांव की गलियों तक में भी घुसने लगा।

इसी क्षेत्र में लगे नल कूपों से बल्लबगढ़ क्षेत्र को पेयजल की सप्लाई होती है। इन तमाम जल कूपों को इस गंदे पानी ने घेर लिया है। समझना कठिन नहीं है कि जब वर्षों से गंदा पानी खड़ा हो तो नीचे के भूजल की क्या स्थिति हो सकती है। पूरे शहर को इसी प्रदूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। जाहिर है कि यह पानी घातक बीमारियों को न्योता देने वाला है। ऐसा नहीं है कि वर्षों से चल रहे इस जन विरोधी खेल से तमाम अधिकारी व राजनेता अनभिज्ञ हों। ग्राम वासियों द्वारा उन्हें बार-बार चेताया गया व उसके समाधान के लिये कई बार अनुरोध किया गया। लेकिन झूठे व खोखले वायदों के अलावा जनता को कभी कुछ नहीं मिला। दरअसल अनुनय-विनय की भाषा सरकार को समझ नहीं आती, इसे तो केवल आन्दोलन की भाषा ही समझ में आती है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।